राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 12286/2017

अंजना कविया पुत्र श्री शिवराज कविया, निवासी 11/86, एम. पी.कॉलोनी, बीकानेर राजस्थान

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा समूह-III, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से ।

2. निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, राजस्थान, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

3. अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, राजस्थान, तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : श्री महावीर बिश्नोई।

उत्तरदाता(गण) के लिए : सुश्री वंदना भंसाली के लिए श्री गौरव रांका।

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

17/01/2024

1. याचिका वर्ष 2017 में दायर की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्तरदाताओं को 26.02.2013 के एक विज्ञापन (अनुलग्नक 4) के जवाब में प्रस्तुत उसके आवेदन के अनुसार याचिकाकर्ता को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त करने का आदेश देने के लिए एक उचित रिट जारी करने की मांग की गई थी।

2. शुरुआत में, 2013 से एक विज्ञापन के संबंध में 2017 में याचिका दायर करने में देरी के बारे में अदालत के एक प्रश्न पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिका अंतिम योग्यता सूची के बाद दायर की गई थी और 5 जुलाई, 2017 को अन्य उम्मीदवारों को नियुक्तियां जारी की गई थीं। यह पता चलने पर ही कि याचिकाकर्ता को सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं किया गया था या नियुक्ति की पेशकश नहीं की गई थी, कार्रवाई का कारण बना, जिसके कारण 26 सितंबर, 2017 के आसपास याचिका दायर की गई।

3. याचिकाकर्ता के दावे पर लौटते हुए, यह दोहरे तथ्यात्मक दावों पर आधारित हैः सबसे पहले, 5 जुलाई, 2017 को प्रतिवादी ने 2013 के विज्ञापन के आधार पर 411 उम्मीदवारों की सूची फिर से जारी की, जिसमें कटऑफ अंक भी शामिल थे। इन कटऑफ अंकों की समीक्षा करने पर, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के कुल अंक 71.07% होने के

बावजूद, ओ. बी. सी. महिला श्रेणी के लिए 56.469% की कटऑफ से अधिक होने के बावजूद, उन्हें नियुक्ति की पेशकश नहीं की गई थी। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 18 जुलाई, 2017 को प्रतिवादी संख्या 3 को सत्यापन के लिए दस्तावेज जमा किए। दूसरे, याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसके कुल अंक 71.07% होने के बावजूद, ओबीसी महिला वर्ग के लिए 56.469% के अंतिम कटऑफ अंक को पार करने के बावजूद, अधिक योग्य होने के बावजूद, उसे उत्तरदाताओं द्वारा नियुक्ति नहीं दी गई।

4. प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबी हलफनामे में लिया गया रुख स्पष्ट हैः ओ. बी. सी. महिला श्रेणी के लिए कटऑफ अंक 56.469 है। इस बीच, याचिकाकर्ता ने कम यानी 55.126 अंक प्राप्त किए हैं। नतीजतन, वह अन्य उम्मीदवारों से आगे नहीं निकल सकीं, जिन्होंने उनकी तरह, न्यूनतम आवश्यक अंक प्राप्त नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें मेरिट सूची से बाहर कर दिया गया।

5. दलीलें सुनीं और केस फाइल का अध्ययन किया। आइए अब हम प्रतिद्वंद्वी विवादों की जांच करें।

6. उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए रुख के विपरीत, याचिकाकर्ता दावा कर रही है कि वह बी-फार्मा पाठ्यक्रम में प्राप्त अपने उच्च अंकों के आधार पर नियुक्ति की हकदार थी, जो उसके अनुसार, 71.07% बताया गया है और यदि उचित हो तो आयु नियमों के अनुसार समान दी गई है, वह अपनी श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करती है।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 27.05.2015 के एक संकल्प (अनुलग्नक-आर/1) के माध्यम से, राज्य सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार एक पेशेवर डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करता है और बाद में उच्च डिग्री प्राप्त करता है, तो बाद वाला चयन प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं रखता है।इसके बजाय चयन पूरी तरह से पात्रता के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता पर आधारित होगा। इसी तरह, यदि कोई उम्मीदवार फार्मेसी में डिप्लोमा की न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता को पूरा किए बिना उच्च डिग्री प्राप्त करता है, तो उच्च डिग्री में प्राप्त अंकों को नियुक्ति प्रक्रिया के लिए माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट कार्यवाही में इस अदालत के समक्ष प्रस्ताव को चुनौती नहीं दी है।

8. माना कि, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के पास न्यूनतम योग्यता से अधिक योग्यता है यानी बी फार्मेसी में फार्मेसी में डिप्लोमा जिसमें उसने 71.07% अंक प्राप्त किए थे, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा बी-फार्मा के चार वर्षों में प्राप्त अंकों को जोड़ने के बाद पाठ्यक्रम, 85% वेटेज (चयन प्रक्रिया में अपनाए गए मानदंड) के आधार पर, उसका स्कोर 4800 में से 3113 अंक आता है, जो 64.854% होता है।64.854% में से 85% की गणना करके, मेरिट सूची में उसका स्कोर 55.126 अंक घटाया गया, जो ओबीसी महिला श्रेणी के लिए निर्धारित कट-ऑफ अंक 56.469 से कम है। इस प्रकार उसे उसी श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार के मुकाबले नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, जिसने उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

9. इसके अलावा, उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए उपरोक्त मानदंड भी इस न्यायालय में डीबी सिविल स्पेशल नंबर 21/2016 के तहत न्यायिक समीक्षा का विषय थे, जिसका शीर्षक 05.08.2016 को बजरंग लाल और अन्य बनाम राज्य था। मानदंड/नीतिगत निर्णय को इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था और प्रतिवादी को उसके अनुसरण में पूरी भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्देश दिया गया था।

10. परिणामस्वरूप, मुझे इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।